

ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और अक्वायर्ड
इम्यून डेफिशिएंसी संलक्षण (निवारण और नियंत्रण)
अधिनियम, 2017

धाराओं का क्रम

धाराएं

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।
2. परिभाषाएं।

अध्याय 2

कतिपय कार्यों का प्रतिषेध

3. विभेद का प्रतिषेध।
4. कतिपय कार्यों का प्रतिषेध।

अध्याय 3

सुभिज्ञ सम्मति

5. एचआईवी परीक्षण या उपचार करने के लिए सुभिज्ञ सम्मति।
6. कतिपय मामलों में एचआईवी परीक्षण करने के लिए सुभिज्ञ सम्मति की अपेक्षा नहीं होना।
7. जांच केंद्रों, आदि के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत।

अध्याय 4

एचआईवी प्रास्थिति का प्रकटीकरण

8. एचआईवी प्रास्थिति का प्रकटीकरण।
9. एचआईवी-पोजिटिव व्यक्ति के संगी को उसके एचआईवी-पोजिटिव प्रास्थिति का प्रकटीकरण।
10. एचआईवी पारेषण के निवारण का कर्तव्य।

अध्याय 5

स्थापनों की बाध्यता

11. आंकड़ों की गोपनीयता।
12. स्थापनों के लिए एचआईवी और एड्स नीति।

धाराएं

अध्याय 6

एचआईवी से ग्रस्त लोगों के लिए प्रतिविषाणु संबंधी
चिकित्सा और अवसरवादीय संक्रमण प्रबंध

13. केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा उपाय।
14. केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रतिविषाणु संबंधी चिकित्सा और अवसरवादीय संक्रमण प्रबंध।

अध्याय 7

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा कल्याणकारी उपाय

15. केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा कल्याणकारी उपाय।
16. एचआईवी या एड्स द्वारा प्रभावित बालकों की संपत्ति का संरक्षण।
17. एचआईवी और एड्स से संबंधित जानकारी, शिक्षा और संपर्क कार्यक्रमों का संवर्धन।
18. एचआईवी या एड्स से संक्रमित स्त्रियां और बालक।

अध्याय 8

सुरक्षित कार्यकरण वातावरण

19. सुरक्षित कार्यकरण वातावरण प्रदान करने के लिए स्थापनों की बाध्यता।
20. स्थापनों के साधारण दायित्व।
21. शिकायत प्रतितोष तंत्र।

अध्याय 9

जोखिम कम करने के लिए रणनीतियों का संवर्धन

22. जोखिम कम करने के लिए रणनीति।

अध्याय 10

ओमबड्समैन की नियुक्ति

23. ओमबड्समैन की नियुक्ति।
24. ओमबड्समैन की शक्तियां।
25. परिवाद की प्रक्रिया।
26. ओमबड्समैन के आदेश।
27. ओमबड्समैन की सहायता के लिए प्राधिकारी।
28. राज्य सरकार को रिपोर्ट।

अध्याय 11

विशेष उपबंध

29. निवास का अधिकार।
30. एचआईवी संबंधी जानकारी, शिक्षा और विवाह से पूर्व संसूचना।

धाराएं

31. राज्य की देख-रेख या अभिरक्षा में व्यक्ति।
32. बड़े सहोदर की संरक्षकता की मान्यता।
33. संरक्षकता और वसीयती संरक्षकता के लिए विद्यमान वसीयत।

अध्याय 12

न्यायालय में विशेष प्रक्रिया

34. पहचान का अधिक्रमण।
35. भरणपोषण आवेदन।
36. दंडादेश करना।

अध्याय 13

शास्तियां

37. उल्लंघन के लिए शास्ति।
38. ओमबड्समैन के आदेशों का पालन करने में असफल रहने के लिए शास्ति।
39. विधिक कार्यवाहियों में गोपनीयता भंग के लिए शास्ति।
40. उत्पीड़न का प्रतिषेध।
41. अपराधों के विचारण के लिए न्यायालय।
42. अपराधों का संज्ञेय और जमानतीय होना।

अध्याय 14

प्रकीर्ण

43. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।
44. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।
45. शक्तियों का प्रत्यायोजन।
46. मार्गदर्शक सिद्धान्त।
47. केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।
48. नियमों का संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना।
49. राज्य सरकार की नियम बनाने और उसे रखे जाने की शक्ति।
50. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और अक्वायर्ड
इम्यून डेफिशिएंसी संलक्षण (निवारण और नियंत्रण)
अधिनियम, 2017

(2017 का अधिनियम संख्यांक 16)

[20 अप्रैल, 2017]

ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी विषाणु और अक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी संलक्षण के फैलाव के निवारण और नियंत्रण के लिए और उक्त विषाणु और संलक्षण से प्रभावित व्यक्तियों के मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुवंशिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी विषाणु और अक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी संलक्षण का फैलाव सभी के लिए गंभीर चिंता का विषय है और उक्त विषाणु और संलक्षण के निवारण और नियंत्रण की तत्काल आवश्यकता है;

और उन व्यक्तियों के मानवाधिकारों की संरक्षा और सुरक्षा की आवश्यकता है जो एचआईवी-पॉजिटिव हैं, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी विषाणु और अक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी संलक्षण से प्रभावित हैं और उक्त विषाणु और संलक्षण द्वारा भेद्य हैं;

और ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी विषाणु और अक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी संलक्षण की प्रभावी देखभाल, संभाल और उपचार की आवश्यकता है;

और ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी विषाणु और अक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी संलक्षण से संबंधित स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं और अन्य व्यक्तियों के अधिकारों की संरक्षा की आवश्यकता है;

और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी विषाणु और अक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी संलक्षण पर अपनी पूर्व प्रतिबद्धताओं का प्रत्याह्वान और पुनः अभिपुष्टि करते हुए ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी विषाणु और अक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी संलक्षण की समस्या के सभी पहलुओं पर ध्यान देने के लिए और व्यापक रूप में इसकी रोकथाम के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय समन्वय में अभिवृद्धि करने तथा इसके प्रयासों में तेजी लाने की वैश्विक प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी विषाणु और अक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी संलक्षण पर प्रतिबद्धता संबंधी घोषणा (2001) को अंगीकृत किया है;

और भारत गणराज्य का पूर्वोक्त घोषणा का हस्ताक्षरकर्ता होने के कारण इस घोषणा को प्रभावी बनाना समीचीन है।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी विषाणु और अक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह संपूर्ण भारत पर लागू होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "एड्स" से अक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी संलक्षण अभिप्रेत है जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी विषाणु द्वारा कारित संकेतों और लक्षणों के समुच्चय द्वारा वर्णित दशा है, जो एचआईवी-पोजिटिव व्यक्ति के लिए जीवन विभीषक दशाओं या ऐसी अन्य दशाओं के लिए, जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं, खतरा बनते हुए शरीर के रोगक्षम तंत्र पर आक्रमण करती है और उसको कमजोर बना देती है;

(ख) "सहमति देने की हैसियत" से किसी प्रस्तावित कार्रवाई की प्रकृति और परिणामों को समझने और उसका मूल्यांकन करने और ऐसी कार्रवाई से संबंधित सुभिज्ञ विनिश्चय करने के लिए वास्तविक आधार पर अवधारित किसी व्यक्ति की योग्यता अभिप्रेत है;

(ग) "एचआईवी द्वारा प्रभावित बालक" से अठारह वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो एचआईवी-पोजिटिव है या जिसके माता या पिता या संरक्षक (जिसके साथ ऐसा बालक साधारणतः निवास करता है), एचआईवी-पोजिटिव है या माता-पिता या संरक्षक (जिसके साथ ऐसा बालक साधारणतः निवास करता था), को एड्स के कारण खो दिया है या एड्स द्वारा अनाधीकृत बालकों का पोषण करने वाले किसी गृह में रहता है;

(घ) "विभेद" से ऐसा कोई कार्य या लोप अभिप्रेत है जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अभिव्यक्त रूप से या प्रभाव द्वारा, तुरंत या कुछ समय पश्चात्,—

(i) एक या अधिक एचआईवी संबंधी आधारों के आधार पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग पर कोई भार, बाध्यता, दायित्व, निर्योग्यता या अलाभ अधिरोपित करता है; या

(ii) एक या अधिक एचआईवी संबंधी आधारों के आधार पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग पर किसी फायदे, अवसर या लाभ से इंकार करता है या उसको रोकता है,

और "विभेद करने" अभिव्यक्ति का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1—इस खंड के प्रयोजनों के लिए एचआईवी-संबंधी आधारों के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं,—

(i) एचआईवी-पोजिटिव व्यक्ति होना;

(ii) ऐसे व्यक्ति के साथ सामान्यतया रहना, निवास करना या सहवास करना, जो एचआईवी-पोजिटिव व्यक्ति है;

(iii) ऐसे व्यक्ति के साथ सामान्यतया रहा था, निवास किया था या सहवास किया था जो एचआईवी-पोजिटिव था।

स्पष्टीकरण 2—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि चिकित्सीय रूप से सूचित रक्षोपायों को अंगीकार करना और संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए पूर्वावधानियां विभेद की कोटि में नहीं आएंगी।

2005 का 43

(ड) "पारिवारिक संबंध" से घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (च) के अधीन यथा परिभाषित नातेदारी अभिप्रेत है;

(च) "स्थापन" से मालों या सेवाओं के उत्पादन, उनकी पूर्ति या वितरण के लिए कोई निगम निकाय या सहकारी सोसाइटी या ऐसा कोई संगठन या संस्थान या ऐसे दो या अधिक व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जो प्रतिफल के लिए या अन्यथा एक या अधिक स्थानों पर बारह मास या अधिक की अवधि के लिए संयुक्त रूप से कोई प्रणालीगत क्रियाकलाप कर रहे हैं;

(छ) "मार्गदर्शक सिद्धान्त" से केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कोई कथन या कोई अन्य दस्तावेज अभिप्रेत है जिसमें एचआईवी या एड्स के निवारण, नियंत्रण और उपचार के संबंध में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों और स्थापनों और व्यष्टियों द्वारा अनुसरण की जाने वाली एचआईवी और एड्स के निवारण और नियंत्रण से संबंधित नीति या प्रक्रिया या कार्यवाही उपदर्शित है;

(ज) "स्वास्थ्य देख-रेख प्रदाता" से कोई ऐसा व्यष्टि अभिप्रेत है जिसका व्यवसाय या वृत्ति दूसरे व्यष्टि के स्वास्थ्य की देखभाल से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संबंधित है और जिसके अंतर्गत कोई भी चिकित्सक, नर्स, पराचिकित्सक, मनोविज्ञानी, परामर्शदाता या चिकित्सक, नर्सिंग, मनोवैज्ञानिक या अन्य स्वास्थ्य सेवाएं जिसके अंतर्गत एचआईवी निवारण और उपचार सेवाएं भी हैं, देने वाले कोई अन्य व्यष्टि आते हैं;

(झ) "एचआईवी" से ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी विषाणु अभिप्रेत है;

(ञ) "एचआईवी-प्रभावित व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो एचआईवी-पोजिटिव है या जिसका संगी (जिसके साथ ऐसा व्यक्ति साधारणतः निवास करता है) एचआईवी-पोजिटिव है या जिसने एड्स के कारण किसी संगी को (जिसके साथ ऐसा व्यक्ति निवास करता था) खो दिया है;

(ट) "एचआईवी-पोजिटिव व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके एचआईवी परीक्षण में पोजिटिव होने की अभिपुष्टि हो गई है;

(ठ) "एचआईवी-संबंधी सूचना" से किसी व्यक्ति की एचआईवी प्रास्थिति से संबंधित कोई सूचना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं—

(i) एचआईवी परीक्षण करने या किसी एचआईवी परीक्षण के परिणाम से संबंधित सूचना;

(ii) उस व्यक्ति की देखभाल, संभाल या उपचार से संबंधित सूचना;

(iii) ऐसी सूचना, जिससे उस व्यक्ति की पहचान हो; और

(iv) उस व्यक्ति से संबंधित कोई अन्य सूचना जिसे एचआईवी परीक्षण, एचआईवी उपचार या एचआईवी-संबंधी अनुसंधान या उस व्यक्ति की एचआईवी प्रास्थिति के संबंध में एकत्रित, प्राप्त, सुलभ या अभिलिखित किया गया है;

(ड) "एचआईवी परीक्षण" से एचआईवी के किसी रोग प्रतिकारक या एंटीजन की उपस्थिति को अवधारित करने के लिए परीक्षण अभिप्रेत है;

(ढ) "सुभिज्ञ सहमति" से किसी प्रपीड़न, असम्यक् असर, कपट, भूल या दुर्व्यपदेशन के बिना किसी प्रस्तावित मध्यक्षेप के लिए विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि द्वारा दी गई सहमति अभिप्रेत है और ऐसी सहमति, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि द्वारा समझे जाने वाली भाषा और रीति में प्रस्तावित मध्यक्षेप को मार्गदर्शक सिद्धांतों में यथाविनिर्दिष्ट जोखिम और फायदों या विकल्पों से संबंधित ऐसी सूचना, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि को देकर प्राप्त की गई है;

(ण) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(त) "संगी" से पति-पत्नी, वस्तुतः पति-पत्नी या ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके साथ दूसरा व्यक्ति वैवाहिक प्रकृति का संबंध रखता है;

(थ) "व्यक्ति" के अंतर्गत भारत में या भारत के बाहर कोई व्यक्ति, हिंदू अविभक्त कुटुंब, कंपनी, फर्म, व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम, कोई कंपनी जिसके अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कोई सरकारी कंपनी भी है, सीमित उत्तरदायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन कोई सीमित उत्तरदायित्व भागीदारी, भारत के बाहर किसी देश की विधि द्वारा या उसके अधीन निगमित कोई निगमित निकाय, सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सहकारी सोसाइटी, कोई स्थानीय प्राधिकारी और प्रत्येक अन्य कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति आते हैं;

1956 का 1

2009 का 6

(द) "विहित" से, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ध) "संरक्षित व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो—

(i) एचआईवी-पोजिटिव है; या

(ii) ऐसे व्यक्ति के साथ सामान्यतया रह रहा है, निवास कर रहा है या सहवास कर रहा है जो एचआईवी-पोजिटिव व्यक्ति है; या

(iii) ऐसे व्यक्ति के साथ सामान्यतया रहता था, निवास करता था या सहवास करता था जो एचआईवी-पोजिटिव व्यक्ति था;

(न) "युक्तियुक्त वास-सुविधा" से नौकरी या कार्य में मामूली समायोजन अभिप्रेत है जो ऐसे एचआईवी-पोजिटिव व्यक्ति को जो, यथास्थिति, समान फायदों का उपभोग करने के लिए या नौकरी या कार्य के आवश्यक कृत्य करने के लिए अन्यथा अर्हित है, समर्थ बनाता है;

(प) संरक्षित व्यक्ति के संबंध में "नातेदार" से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं—

(i) संरक्षित व्यक्ति का पति या पत्नी;

(ii) संरक्षित व्यक्ति के माता-पिता;

(iii) संरक्षित व्यक्ति का भाई या बहन;

(iv) संरक्षित व्यक्ति के पति या पत्नी का भाई या बहन;

(v) संरक्षित व्यक्ति के माता-पिता में से किसी का भाई या बहन;

(vi) उपखंड (i) से उपखंड (v) में उल्लिखित किसी भी नातेदार के अभाव में संरक्षित व्यक्ति के पारंपरिक पूर्वज या वंशज;

(vii) उपखंड (i) से उपखंड (vi) में उल्लिखित किसी भी नातेदार के अभाव में संरक्षित व्यक्ति के पति या पत्नी के पारंपरिक पूर्वज या वंशज;

(फ) "महत्वपूर्ण जोखिम" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(क) महत्वपूर्ण जोखिम वाले शारीरिक पदार्थ की उपस्थिति;

(ख) ऐसी परिस्थिति जो एचआईवी संक्रमण को पारंपरिक करने या उसके संक्रमण को होने के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती है; या

(ग) किसी संक्रामक स्रोत और किसी असंक्रमित व्यक्ति की उपस्थिति।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "महत्वपूर्ण जोखिम वाले शारीरिक पदार्थ" रक्त, उक्त उत्पाद, वीर्य, योनिक स्राव, स्तन दूध, कतक और शारीरिक तरल अर्थात् सेरेब्रोस्पाइनल, एमिनियोटिक, पेरिटोनियल, साइनोवायल, पेरिकार्डियल और प्लेयूरल हैं;

(ii) "वे परिस्थितियां जिनसे एचआईवी संक्रमण के पारंपरिक या संक्रमण के होने का महत्वपूर्ण जोखिम होता है" निम्नलिखित हैं—

(अ) मैथुन, जिसके अंतर्गत योनिक, गुदा या मुख मैथुन हैं, जिनसे असंक्रमित व्यक्ति को, एचआईवी-पोजिटिव व्यक्ति के रक्त, रक्त उत्पाद, वीर्य या योनिक स्राव से संक्रमण की आशंका होती है;

(आ) एचआईवी-पोजिटिव व्यक्तियों और असंक्रमित व्यक्तियों के बीच औषधियों को तैयार करने और सुई लगाने के लिए उपयोग में लाई गई सुइयों और अन्य साज सामान का एक-दूसरे व्यक्ति के लिए उपयोग;

(इ) किसी शिशु का गर्भधारण, उसे जन्म देना और उसे स्तनपान कराना, जबकि उसकी मां एचआईवी-पोजिटिव व्यक्ति है;

(ई) रक्त, रक्त उत्पादों का आधान और अंगों या अन्य ऊतकों का एचआईवी-पोजिटिव व्यक्ति से असंक्रमित व्यक्ति को प्रतिरोपण, परंतु यह तब जबकि ऐसे रक्त, रक्त उत्पाद, अंग या अन्य ऊतकों का एचआईवी के एंटीबाडी या एंटीजन के लिए निश्चयक रूप से परीक्षण नहीं कर लिया गया है और ताप या रसायन उपचार द्वारा उसे निष्प्रभावी नहीं बना दिया गया है; और

(उ) अन्य परिस्थितियां, जिनके दौरान एचआईवी-पोजिटिव व्यक्ति के स्तन दूध से भिन्न महत्वपूर्ण जोखिम वाला शारीरिक पदार्थ असंक्रमित व्यक्ति की श्लेष्मा झिल्ली, जिसके अंतर्गत आंख, नाक या मुंह, क्षत त्वचा, जिसके अंतर्गत खुला घाव, त्वचा शोथ स्थिति में त्वचा या खरोंच वाला क्षेत्र या नाड़ी तंत्र भी है, और ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत सुई या चोभ घाव और महत्वपूर्ण जोखिम वाले शारीरिक पदार्थ द्वारा इन शारीरिक सतहों के सीधे संतुष्टि और व्याप्ति आते हैं किन्तु यहीं तक सीमित नहीं हैं:

परन्तु महत्वपूर्ण जोखिम के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं—

(i) ऐसे मूत्र, मल, थूक, नासिका स्राव, लार, पसीना, आंसू या उल्टी के संपर्क में आना जिसमें खुली आंख से दृश्यमान रक्त नहीं हो;

(ii) मानव द्वारा काटना, जहां पर रक्त से रक्त का या रक्त से श्लेष्मा झिल्ली का सीधा संपर्क न हो;

(iii) रक्त या किसी अन्य रक्त पदार्थ से अक्षत त्वचा की उच्छन्नता; और

(iv) उपजीविकाजन्य ऐसे केन्द्र जहां पर व्यक्ति वैज्ञानिक रूप से स्वीकृत,

सर्वव्यापी पूर्वावधानियों, प्रतिबंधात्मक तकनीकों और निवारक कार्य प्रणाली का ऐसी परिस्थितियों में उपयोग करते हैं जिनसे अन्यथा महत्वपूर्ण जोखिम हो और ऐसी तकनीकों का भंग नहीं हो और वे अविकल बनी रही हों;

(ब) "राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी" से एचआईवी और एड्स के क्षेत्र में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार का नोडल अधिकरण अभिप्रेत है;

(भ) संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में "राज्य सरकार" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उस संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है; और

(म) "सर्वव्यापी पूर्वावधानियों" से ऐसे नियंत्रण उपाय अभिप्रेत हैं जो रोगोत्पादक कारकों के पारेषण की जोखिम की आशंका का निवारण करते हैं या उसे कम करते हैं (जिसके अंतर्गत एचआईवी भी है) और जिसके अंतर्गत शिक्षा, प्रशिक्षण, व्यक्तिगत संरक्षी उपकरण जैसे दस्ताने, चोगा और मुखामच, हाथ धोना और सुरक्षित कार्य पद्धतियां लागू करना भी आते हैं।

अध्याय 2

कतिपय कार्यों का प्रतिषेध

विभेद का प्रतिषेध।

3. कोई भी व्यक्ति संरक्षित व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर विभेद नहीं करेगा जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कोई आधार भी है, अर्थात्:—

(क) नियोजन या व्यवसाय का प्रत्याख्यान या उसकी समाप्ति जब तक कि समाप्ति की दशा में उस व्यक्ति को, जो अन्यथा अर्हित है, निम्नलिखित नहीं दे दिया जाता—

(i) किसी अर्हित और स्वतंत्र स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता, जो ऐसा करने के लिए सक्षम है, के लिखित में निर्धारण की ऐसी एक प्रति कि संरक्षित व्यक्ति से कार्यस्थल में अन्य व्यक्तियों को एचआईवी के पारेषण का महत्वपूर्ण जोखिम है या वह नौकरी के कर्तव्यों का पालन करने के अयोग्य है; और

(ii) नियोजन या व्यवसाय का प्रत्याख्यान नहीं किए जाने के लिए प्रशासनिक और वित्तीय कठिनाई की प्रकृति और विस्तार के कथन वाले लिखित विवरण की एक प्रति;

(ख) नियोजन या नौकरी में या उसके संबंध में अक्रजु बर्ताव;

(ग) स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का प्रत्याख्यान या रोक या उसमें अक्रजु बर्ताव;

(घ) शैक्षणिक सेवाओं में प्रत्याख्यान या रोक या उसमें अक्रजु बर्ताव;

(ङ) साधारण जनता के उपयोग को समर्पित या जनता को रुद्धिगत रूप से उपलब्ध किसी माल, वास सुविधा, सेवा, सुविधा, फायदा, विशेषाधिकार या अवसर के उपयोग के लिए पहुंच या उसकी व्यवस्था या उसका उपभोग करने की बाबत प्रत्याख्यान या रोक या अक्रजु बर्ताव चाहे ऐसा फीस देने पर हो या उसके बिना, जिसके अंतर्गत दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटल और लोक मनोरंजन के स्थानों या कुंओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों, कब्रिस्तानों या अंत्येष्टि संस्कारों और लोक समागम के स्थानों का उपयोग आता है;

(च) संचलन के अधिकार की बाबत प्रत्याख्यान या रोक या अक्रजु बर्ताव;

(छ) निवास, क्रय, किराया या अन्यथा किसी संपत्ति के अधिभोग के अधिकार की बाबत प्रत्याख्यान या रोक या अक्रजु बर्ताव;

(ज) सार्वजनिक या निजी पद के लिए उम्मीदवार होने या पद धारण करने के अवसर का प्रत्याख्यान या रोक या उसमें अक्रजु बर्ताव;

(झ) किसी शासकीय या निजी स्थापन तक जिसकी देख-रेख और अभिरक्षा में कोई व्यक्ति हो, पहुंच से प्रत्याख्यान, उसको हटाया जाना या उसमें अक्रजु बर्ताव;

(ज) बीमा के उपबंध का प्रत्याख्यान या उसमें अत्रिजु बर्ताव जब तक कि वह बीमांकिक अध्ययनों द्वारा समर्थित न हों;

(ट) किसी संरक्षित व्यक्ति को अलग करना या उसका पृथक्करण;

(ठ) नियोजन की अभिप्राप्ति या स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच या शिक्षा या उसके जारी रखे जाने या कोई अन्य सेवा या सुविधा लेने या उसका उपयोग करने के लिए पूर्व अपेक्षा के रूप में एचआईवी परीक्षण:

परंतु खंड (क) के उपखंड (i) के अधीन लिखित निर्धारण देने में असफल रहने की दशा में यह उपधारणा की जाएगी कि उससे कोई महत्वपूर्ण जोखिम नहीं है और यह कि व्यक्ति नौकरी के कर्तव्यों का पालन करने के योग्य है और, यथास्थिति, उस खंड के उपखंड (ii) के अधीन लिखित विवरण देने में असफल रहने की दशा में यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसी कोई असम्यक् प्रशासनिक या वित्तीय कठिनाई नहीं है।

4. कोई व्यक्ति, साधारणतया या विशिष्ट रूप से किसी संरक्षित व्यक्ति या संरक्षित व्यक्तियों के समूह के विरुद्ध बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा घृणा की भावनाओं का प्रकाशन, प्रचार, पक्ष-पोषण नहीं करेगा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपेण या अन्यथा संसूचित नहीं करेगा या किसी भी ऐसी सूचना, विज्ञापन या नोटिस का प्रसार, प्रसारण या प्रदर्शन नहीं करेगा जिससे युक्तियुक्त रूप से घृणा के प्रचार के आशय के निर्दर्शन का अर्थ लगाया जा सके या जिससे संरक्षित व्यक्ति को घृणा, विभेद या शारीरिक हिंसा की आशंका में डाला जाना संभाव्य हो।

कतिपय कार्यों का प्रतिषेध।

अध्याय 3

सुभिज्ञ सम्मति

5. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए,—

(क) किसी भी व्यक्ति पर एचआईवी परीक्षण; या

(ख) किसी भी संरक्षित व्यक्ति का चिकित्सा उपचार, चिकित्सा मध्यक्षेप या उसके बारे में अनुसंधान,

ऐसे व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि की सुभिज्ञ सम्मति के सिवाय और ऐसी रीति के सिवाय, जो मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट की जाएं, नहीं किया जाएगा।

(2) एचआईवी परीक्षण के लिए सुभिज्ञ सम्मति के अंतर्गत परीक्षण किए गए व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के प्रतिनिधि को ऐसी रीति में पूर्व परीक्षण और पश्च परीक्षण परामर्श सेवा प्रदान की जाएगी जो मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट की जाएं।

एचआईवी परीक्षण या उपचार कराने के लिए सुभिज्ञ सम्मति।

6. निम्नलिखित मामलों में एचआईवी परीक्षण करने के लिए सुभिज्ञ सम्मति की अपेक्षा नहीं होगी—

(क) जहां कोई न्यायालय आदेश द्वारा यह अवधारित करता है कि उसके समक्ष मामले में विवाहकों के अवधारण के लिए या तो चिकित्सा परीक्षा के भाग के रूप में या अन्यथा किसी व्यक्ति का एचआईवी परीक्षण किया जाना आवश्यक है;

(ख) आयुर्विज्ञान अनुसंधान या चिकित्सा में उपयोग के लिए मानव शरीर या उसके किसी भाग को उपाप्त करने, उसका प्रसंस्करण, वितरण या उपयोग करने के लिए, जिसके अंतर्गत ऊतक, रक्त, वीर्य या अन्य शारीरिक तरल आते हैं;

कतिपय मामलों में एचआईवी परीक्षण करने के लिए सुभिज्ञ सम्मति की अपेक्षा नहीं होना।

परंतु जहां पर किसी दाता द्वारा संदान के पहले परीक्षण परिणामों का अनुरोध किया गया है वहां दाता को परामर्श सेवा और परीक्षण केंद्र को निर्दिष्ट किया जाएगा और ऐसा दाता तब तक परीक्षण के परिणाम का हकदार नहीं होगा जब तक उसने ऐसे केंद्र से पश्च परीक्षण परामर्श सेवा प्राप्त नहीं कर ली हो;

(ग) जानपदिकय रोग विज्ञान संबंधी या निगरानी प्रयोजनों के लिए जहां पर एचआईवी परीक्षण अनाम है और किसी व्यक्ति को एचआईवी प्रास्थिति को अवधारित करने के प्रयोजन के लिए नहीं है;

परंतु ऐसे व्यक्तियों को, जो ऐसे जानपदिकय रोग संबंधी या निगरानी अध्ययनों के अधीन हैं, ऐसे अध्ययनों के प्रयोजनों की सूचना दी जाएगी; और

(घ) किसी अनुज्ञप्त रक्त कोष में छानबीन प्रयोजनों के लिए।

जांच केंद्रों, आदि के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत।

7. किसी परीक्षण या निदान केंद्रों या विकृति विज्ञान प्रयोगशाला या रक्त कोष द्वारा कोई एचआईवी परीक्षण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा केंद्र या प्रयोगशाला या रक्त कोष ऐसे परीक्षण के लिए अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन नहीं कर ले।

अध्याय 4

एचआईवी प्रास्थिति का प्रकटीकरण

एचआईवी प्रास्थिति का प्रकटीकरण।

8. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी,—

(i) किसी व्यक्ति को उसकी एचआईवी प्रास्थिति प्रकट करने के लिए उस दशा के सिवाय विवश नहीं किया जाएगा जहां किसी न्यायालय के आदेश द्वारा यह अवधारित किया जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटीकरण उसके समक्ष मामले में विवाहकों के अवधारण के लिए न्याय के हित में आवश्यक है;

(ii) कोई व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति की एचआईवी प्रास्थिति या उसके द्वारा विश्वास में बताई गई या वैश्वासिक प्रकृति के संबंधों में बताई गई किसी अन्य निजी सूचना को, यथास्थिति, ऐसे अन्य व्यक्ति या ऐसे अन्य व्यक्ति के प्रतिनिधि की ऐसी रीति में जो धारा 5 में विनिर्दिष्ट की जाए, प्राप्त सुभिन्न सम्मति के सिवाय और ऐसा प्रकटीकरण करने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसी सम्मति के तथ्य को लेखबद्ध करने के सिवाय प्रकट नहीं करेगा या उसे प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा:

परंतु वैश्वासिक प्रकृति के संबंधों की दशा में सुभिन्न सम्मति को लेखबद्ध किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के खंड (ii) के अधीन एचआईवी संबंधी सूचना के प्रकटीकरण के लिए उस स्थिति में सुभिन्न सम्मति अपेक्षित नहीं है जहां पर प्रकटीकरण—

(क) किसी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता द्वारा ऐसे दूसरे स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता को किया गया है जो ऐसे व्यक्ति के देख-रेख, उपचार या परामर्श सेवा में सम्मिलित है जब कि ऐसा प्रकटीकरण उस व्यक्ति की देख-रेख या उपचार के लिए आवश्यक है;

(ख) किसी न्यायालय के ऐसे आदेश द्वारा कि ऐसी सूचना का प्रकटीकरण उसके समक्ष मामले में विवाहकों के अवधारण के लिए और न्याय के हित में आवश्यक है;

(ग) व्यक्तियों के मध्य दावों या विधिक कार्यवाहियों में जहां ऐसी सूचना का प्रकटीकरण दावे या विधिक कार्यवाहियां फाइल करने के लिए या उनके काउंसेल को अनुदेश देने के लिए आवश्यक है;

(घ) धारा 9 के उपबंधों के अधीन यथा अपेक्षित है;

(ङ) यदि यह किसी व्यक्ति की सांख्यिकीय या अन्य सूचना से संबंधित है जिससे उस व्यक्ति की पहचान होने की युक्तियुक्त प्रत्याशा नहीं की जा सकती; और

(च) मानीटर, मूल्यांकन या पर्यवेक्षण के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संबंधित राज्य सरकार की राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के समक्ष है।

9. (1) चिकित्सक या परामर्शदाता के सिवाय कोई भी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता किसी व्यक्ति के संगी को उसकी एचआईवी पोजिटिव प्रास्थिति प्रकट नहीं करेगा।

एचआईवी पोजिटिव व्यक्ति के संगी को उसके एचआईवी पोजिटिव प्रास्थिति का प्रकटीकरण।

(2) कोई स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता जो चिकित्सक या परामर्शदाता है, किसी व्यक्ति की एचआईवी-पोजिटिव प्रास्थिति को उसके संगी को अपने प्रत्यक्ष देख-रेख के अधीन प्रकट कर सकेगा यदि ऐसा स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता—

(क) युक्तियुक्त रूप से यह विश्वास करता है कि ऐसे व्यक्ति के संगी को उससे एचआईवी के पारेषण की महत्वपूर्ण जोखिम है; और

(ख) ऐसे एचआईवी-पोजिटिव व्यक्ति को ऐसे संगी को सूचित करने के लिए परामर्शित कर दिया गया है; और

(ग) उसका यह समाधान हो जाता है कि एचआईवी-पोजिटिव व्यक्ति ऐसे संगी को सूचित नहीं करेगा; और

(घ) एचआईवी-पोजिटिव व्यक्ति को उसके संगी को उसकी एचआईवी-पोजिटिव प्रास्थिति को प्रकट करने के अपने आशय के बारे में सूचित कर दिया है:

परंतु इस उपधारा के अधीन संगी को प्रकटीकरण परामर्श देने के पश्चात् व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा:

परंतु यह और कि ऐसे स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता की किसी एचआईवी-पोजिटिव व्यक्ति के संगी की पहचान करने या उसका पता लगाने की कोई बाध्यता नहीं होगी:

परंतु यह भी कि ऐसा स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता ऐसी परिस्थितियों में किसी महिला के संगी को सूचित नहीं करेगा जहां यह युक्तियुक्त आशंका है कि ऐसी सूचना का परिणाम हिंसा, परित्याग या ऐसी कार्रवाइयां हो सकती हैं जो ऐसी महिला, उसके बालकों, उसके नातेदारों या किसी ऐसे व्यक्ति के, जो उसके निकट है, शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य या सुरक्षा पर तीव्र नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो।

(3) उपधारा (1) के अधीन स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता, इस धारा के अधीन किसी संगी को की गई गोपनीय एचआईवी-संबंधित सूचना के किसी भी प्रकटीकरण या अप्रकटीकरण के लिए किसी भी दंडिक या सिविल कार्यवाही के दायित्वाधीन नहीं होगा।

10. प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो एचआईवी-पोजिटिव है और जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार परामर्शित कर दिया गया है या एचआईवी की प्रकृति या उसके पारेषण से अवगत है, अन्य व्यक्तियों को एचआईवी के पारेषण के निवारण के लिए सभी युक्तियुक्त पूर्वावधानियां अपनाएगा, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति से किसी लैंगिक संपर्क या उस व्यक्ति के साथ सुइयों के एक दूसरे के लिए उपयोग से पहले उसकी एचआईवी प्रास्थिति की जोखिम को कम करने और उसके बारे में पहले से सूचित करने के लिए रणनीतियां अपनाना भी है:

परंतु इस धारा के उपबंध ऐसी परिस्थिति में किसी महिला की दशा में, लैंगिक संपर्क के माध्यम से पारेषण का निवारण करने को लागू नहीं होंगे, जहां यह युक्तियुक्त आशंका है कि ऐसी सूचना का परिणाम हिंसा, परित्याग या ऐसी कार्रवाइयां हो सकती हैं जो ऐसी महिला, उसके बालकों, उसके नातेदारों या किसी ऐसे व्यक्ति के, जो उसके निकट है, शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य या सुरक्षा पर तीव्र नकारात्मक प्रभाव डालते हों।

अध्याय 5

स्थापनों की बाध्यता

11. संरक्षित व्यक्तियों की एचआईवी संबंधित जानकारी के अभिलेख रखने वाला प्रत्येक स्थापन यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी जानकारी प्रकटन से संरक्षित है, मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार आंकड़ा संरक्षण के उपाय अंगीकार करेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, आंकड़ा संरक्षण उपायों में प्रकटन से जानकारी संरक्षित करने के लिए प्रक्रियाएं, जानकारी तक पहुंच के लिए प्रक्रियाएं, किसी रूप में भंडारित जानकारी

एचआईवी पारेषण के निवारण का कर्तव्य।

आंकड़ों की गोपनीयता।

के संरक्षण के लिए सुरक्षा प्रणालियों हेतु उपबंध और जवाबदेही तथा स्थापन में व्यक्तियों के दायित्व सुनिश्चित करने के लिए तंत्र सम्मिलित है।

स्थापनों के लिए एचआईवी और एड्स नीति।

12. केन्द्रीय सरकार, स्थापनों के लिए एचआईवी और एड्स के लिए आदर्श नीति ऐसी रीति में अधिसूचित करेगी, जो विहित की जाए।

अध्याय 6

एचआईवी से ग्रस्त लोगों के लिए प्रतिविषाणु संबंधी चिकित्सा और अवसरवादीय संक्रमण प्रबंध

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा उपाय।

13. यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार ऐसे सभी उपाय करेगी, जो वह मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार एचआईवी या एड्स के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक और समीचीन समझे।

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रतिविषाणु संबंधी चिकित्सा और अवसरवादीय संक्रमण प्रबंध।

14. (1) धारा 13 के अधीन एचआईवी या एड्स से ग्रस्त लोगों के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों में यथासंभव प्रतिविषाणु संबंधी चिकित्सा और अवसरवादीय संक्रमण प्रबंध एचआईवी या एड्स संबंधी नैदानिक सुविधाओं का उपबंध करने के लिए उपाय सम्मिलित होंगे।

(2) केन्द्रीय सरकार प्रतिविषाणु संबंधी चिकित्सा और अवसरवादीय संक्रमण प्रबंध नैदानिक सुविधाओं से संबंधित एचआईवी और एड्स के लिए प्रोटोकाल की बाबत आवश्यक मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करेगी, जो सभी व्यक्तियों को लागू होंगे और उनका व्यापक प्रचार सुनिश्चित करेगी।

अध्याय 7

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा कल्याणकारी उपाय

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा कल्याणकारी उपाय।

15. (1) केन्द्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार, दोनों एचआईवी या एड्स द्वारा संक्रमित या उससे प्रभावित व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी स्कीमों तक बेहतर पहुंच को सुकर बनाने के लिए उपाय करेगी।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें सभी संरक्षित व्यक्तियों की आवश्यकताओं से निपटने के लिए स्कीमों की विरचना करेगी।

एचआईवी या एड्स द्वारा प्रभावित बालकों की संपत्ति का संरक्षण।

16. (1) एचआईवी या एड्स द्वारा प्रभावित बालकों की संपत्ति का संरक्षण करने के लिए यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, एचआईवी या एड्स द्वारा प्रभावित बालकों की संपत्ति के संरक्षण हेतु समुचित कदम उठाएगी।

(2) एचआईवी और एड्स द्वारा प्रभावित बालकों के माता-पिता या संरक्षक या कोई अन्य व्यक्ति, जो उनके हित के संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है या एचआईवी और एड्स द्वारा प्रभावित कोई बालक ऐसे बालक के संपत्ति अधिकारों से संबंधित दस्तावेजों को सुरक्षित रखने और जमा करने या बेदखल किए गए या वास्तविक बेदखल होने वाले ऐसे बालक या ऐसे बालक के गृह में अतिचार से संबंधित शिकायतों को करने के लिए बाल कल्याण समिति के पास जाएंगे।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए, "बाल कल्याण समिति" से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 29 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है।

2000 का 56

एचआईवी और एड्स से संबंधित जानकारी, शिक्षा और संपर्क कार्यक्रमों का संवर्धन।

17. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार एचआईवी और एड्स संबंधित जानकारी, शिक्षा और संपर्क कार्यक्रमों की विरचना करेगी, जो समुचित वय, लैंगिक संवेदनशीलता, लांछनरहित और गैर- विभेदकारी हों।

एचआईवी या एड्स से संक्रमित स्त्रियां और बालक।

18. (1) केन्द्रीय सरकार, एचआईवी या एड्स से संक्रमित बालकों की देख-रेख, समर्थन और उपचार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित करेगी।

(2) उपधारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार परामर्श करने

और गर्भावस्था और एचआईवी से संक्रमित स्त्रियों के लिए एचआईवी संबंधी उपचार के परिणाम के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए उपाय करेगी।

(3) कोई एचआईवी-पोजिटिव स्त्री, जो गर्भवती है, उसकी सुभिज्ञ सम्मति को प्राप्त किए बिना बंधीकरण या गर्भपात की पात्र नहीं होगी।

अध्याय 8

सुरक्षित कार्यकरण वातावरण

19. स्वास्थ्य देख-रेख सेवाओं में लगा प्रत्येक स्थापन और प्रत्येक ऐसा अन्य स्थापन, जहां एचआईवी के प्रति उपजीविकाजन्य प्रभावन के महत्वपूर्ण जोखिम हैं, सुरक्षित कार्यकरण का वातावरण सुनिश्चित करने के लिए—

सुरक्षित कार्यकरण वातावरण प्रदान करने के लिए स्थापनों की बाध्यता।

(i) मार्गदर्शक सिद्धान्त के अनुसार निम्नलिखित हेतु उपबंध करेगा,—

(क) ऐसे स्थापन में कार्य कर रहे सभी व्यक्ति जिनका एचआईवी के प्रति उपजीविकाजन्य प्रभावन हो सकता है, के लिए सार्वभौमिक पूर्वावधानियां;

(ख) ऐसी सार्वभौमिक पूर्वावधानियों के उपयोग के लिए प्रशिक्षण;

(ग) ऐसे स्थापन में कार्य कर रहे सभी व्यक्ति जिनका एचआईवी या एड्स के प्रति उपजीविकाजन्य प्रभावन हो सकता है, के पश्च प्रभावन रोग निरोध; और

(ii) सार्वभौमिक पूर्वावधानियों और पश्च प्रभावन रोग निरोध की उपलब्धता के स्थापन में कार्य कर रहे सभी व्यक्तियों को सूचित और शिक्षित करना।

20. (1) इस अध्याय के उपबंध उन सभी स्थापनों को, जो एक सौ या अधिक व्यक्तियों से मिलकर बने हैं, लागू होंगे चाहे वे, यथास्थिति, कोई कर्मचारी या अधिकारी, या सदस्य या निदेशक या न्यासी या प्रबंधक हों:

स्थापनों के साधारण दायित्व।

परंतु स्वास्थ्य देख-रेख स्थापनों के मामले में इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "एक सौ या अधिक" शब्दों के स्थान पर, "बीस या अधिक" शब्द रखे गए हों।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी स्थापन का भारसाधक है, ऐसे स्थापन के क्रियाकलापों के संचालन के लिए इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

21. धारा 20 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक स्थापन, ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह ठीक समझे, शिकायत अधिकारी के रूप में अभिहित करेगा, जो स्थापनों में इस अधिनियम के उपबंधों के अतिक्रमण की शिकायतों का ऐसी रीति से और समयावधि के भीतर, जो विहित की जाए, निपटारा करेगा।

शिकायत प्रतिलोष तंत्र।

अध्याय 9

जोखिम कम करने के लिए रणनीतियों का संवर्धन

22. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, एचआईवी संचरण के जोखिम को कम करने के लिए अंगीकृत या क्रियान्वित कोई रणनीति या तंत्र या तकनीक या व्यक्तियों, स्थापनों या संगठनों द्वारा, उस रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धान्त में विनिर्दिष्ट की जा सके, किया गया कोई कार्य किसी रीति में निर्बंधित और प्रतिषिद्ध नहीं किया जाएगा और यह दांडिक अपराध की कोटि में नहीं आएगा या सिविल दायित्व का भागी नहीं होगा।

जोखिम कम करने के लिए रणनीति।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए एचआईवी संचरण का जोखिम कम करने के लिए रणनीति से उन कार्यों या व्यवहारों का संवर्धन करना अभिप्रेत है, जो एचआईवी के प्रभावन वाले व्यक्ति के जोखिम को कम करते हैं या एचआईवी या एड्स से संबंधी प्रतिकूल प्रभावों को घटाते हैं, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं—

(i) एचआईवी रोकने से संबंधित जानकारी, शिक्षा और परामर्शी सेवाएं और सुरक्षित व्यवहारों का उपबंध;

(ii) सुरक्षित यौन साधनों, जिसके अन्तर्गत कंडोम भी हैं, का उपबंध और उपयोग;

(iii) ओषधि प्रतिस्थापन और ओषधि संकट; और

(iv) व्यापक इंजेक्शन सुरक्षा अपेक्षाओं का उपबंध।

दृष्टांत

(क) क, ख को, जो एक यौनकर्मी है या ग को, जो ख का ग्राहक है, कंडोम प्रदाय करता है। न तो क, न ही ख और न ही ग ऐसी कार्यवाहियों के लिए दंडिक रूप से या सिविल रूप से दायी अभिनिर्धारित किए जा सकेंगे या उन्हें रणनीति के क्रियान्वयन या उपयोग से प्रतिषिद्ध, बाधित, निर्बंधित या निवारित नहीं किया जा सकेगा।

(ख) ड, जो उन पुरुषों, जिनका पुरुषों के साथ यौन संबंध है, के लिए एचआईवी या एड्स और लैंगिक स्वास्थ्य जानकारी, शिक्षा परामर्श पर मध्यवर्ती परियोजना पर कार्य करता है, बेहतर सुरक्षित यौन जानकारी, सामग्री और कंडोम ड को प्रदान करता है जो अन्य पुरुषों के साथ यौन संबंध रखता है। न तो ड, न ही ड ऐसी कार्यवाहियों के लिए दंडिक रूप से या सिविल रूप से दायी अभिनिर्धारित किए जा सकेंगे या उन्हें मध्यक्षेप के क्रियान्वयन या उपयोग से प्रतिषिद्ध, बाधित, निर्बंधित या निवारित नहीं किया जा सकेगा।

(ग) भ, जो सुई लगाने वाले मादक द्रव्य उपयोक्ताओं को रजिस्ट्रीकृत नीडल विनिमय कार्यक्रम सेवाओं को प्रदान करने वाले किसी मध्यक्षेप की जिम्मेदारी लेता है, म को स्वच्छ नीडल प्रदाय करता है, सुई से लगाने वाला कोई मादक द्रव्य उपयोक्ता जो प्रयोग की गई नीडल के लिए उसी का विनिमय करता है। न तो भ, न ही म ऐसे कार्य के लिए दंडिक या सिविल रूप से दायी अभिनिर्धारित किए जा सकेंगे या उन्हें ऐसे मध्यक्षेप के क्रियान्वयन या उपयोग से प्रतिषिद्ध, बाधित, निर्बंधित या निवारित नहीं किया जा सकेगा।

(घ) घ, जो औपियाड प्रतिस्थापन चिकित्सा उपचार (ओएसटी) प्रदान करने वाले मध्यक्षेप कार्यक्रम पर कार्य करता है, ओएसटी ड को देता है, जो सुई लगाने वाला मादक द्रव्य उपयोक्ता है, न तो घ, न ही ड ऐसे कार्य के लिए दंडिक रूप से या सिविल रूप से अभिनिर्धारित किए जा सकेंगे या उन्हें मध्यक्षेप के क्रियान्वयन या उपयोग से प्रतिषिद्ध, बाधित, निर्बंधित या निवारित नहीं किया जा सकेगा।

अध्याय 10

ओमबड्समैन की नियुक्ति

ओमबड्समैन की नियुक्ति।

23. (1) प्रत्येक राज्य सरकार, ओमबड्समैन की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त किए जाएं, एक या अधिक ओमबड्समैन की नियुक्ति करेगी,—

(क) जो ऐसी अर्हता और अनुभव रखता हो, जो विहित किए जाएं; या

(ख) ऐसी पंक्ति जो उस सरकार द्वारा विहित की जाए, से अन्यून के उसके किसी अधिकारी को अभिहित करेगी।

(2) उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त किए गए किसी ओमबड्समैन की सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किए गए ओमबड्समैन के पास ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों की बाबत अधिकारिता होगी जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

24. (1) ओमबड्समैन, किसी व्यक्ति द्वारा परिवाद करने पर, धारा 3 में वर्णित किसी विभेद संबंधी कार्यो और स्वास्थ्य देख-रेख संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों में अतिक्रमण की ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, जांच करेगा।

ओमबड्समैन की शक्तियां।

(2) ओमबड्समैन, किसी व्यक्ति से ऐसे बिंदुओं या मामलों पर जानकारी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो वह मामले की जांच के लिए आवश्यक समझे और इस प्रकार अपेक्षित कोई व्यक्ति ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध होगा और ऐसा करने में असफल रहने पर वह भारतीय दंड संहिता की धारा 176 और धारा 177 के अधीन दंडनीय होगा।

1860 का 45

(3) ओमबड्समैन ऐसी रीति में अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

25. धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन ओमबड्समैन को शिकायतें ऐसी रीति में की जा सकेंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

परिवाद की प्रक्रिया।

26. ओमबड्समैन, धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन शिकायत प्राप्त होने के तीस दिन की अवधि के भीतर पक्षकारों को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् उसके कारण देते हुए ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह ठीक समझे:

ओमबड्समैन के आदेश।

परन्तु ओमबड्समैन, एचआईवी-पोजिटिव व्यक्तियों की आपात चिकित्सा के मामलों में यथासंभव शीघ्रता से, अधिमानतः शिकायत प्राप्त होने के चौबीस घंटे के भीतर ऐसा आदेश पारित करेगा।

27. ओमबड्समैन द्वारा पारित आदेशों के निष्पादन में सभी प्राधिकारी, जिसमें उस क्षेत्र, जिसके लिए धारा 23 के अधीन ओमबड्समैन की नियुक्ति की गई है, में कार्य कर रहे सिविल अधिकारी भी सम्मिलित हैं, सहायता करेंगे।

ओमबड्समैन की सहायता के लिए प्राधिकारी।

28. ओमबड्समैन, प्राप्त परिवादों की संख्या और प्रकृति, की गई कार्रवाई, ऐसे परिवादों के संबंध में पारित आदेश की रिपोर्ट राज्य सरकार को, प्रत्येक छह मास के पश्चात्, करेगा और ऐसी रिपोर्ट ओमबड्समैन की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी और उसकी एक प्रति केंद्रीय सरकार को अप्रेषित की जाएगी।

राज्य सरकार को रिपोर्ट।

अध्याय 11

विशेष उपबंध

29. प्रत्येक संरक्षित व्यक्ति को, साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार होगा, उस अधिकार को साझी गृहस्थी या उसके किसी भाग से अपवर्जित नहीं किया जाएगा और ऐसी साझी गृहस्थी की सुविधाओं के अधिभोग और उपभोग का अधिकार गैर-विभेदकारी रीति में होगा।

निवास का अधिकार।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए, "साझी गृहस्थी" से ऐसी गृहस्थी अभिप्रेत है, जहां कोई व्यक्ति पारिवारिक संबंध में या तो एकल रूप से या किसी व्यक्ति के साथ रहता है या किसी अवस्था में रह चुका है और इसमें ऐसी गृहस्थी, चाहे स्वामित्व वाली या किराएदारी वाली, चाहे संयुक्त रूप से हो या एकल रूप से, कोई ऐसी गृहस्थी, जिसकी बाबत या तो व्यक्ति या दोनों का, संयुक्त रूप से या एकल, कोई अधिकार, हक, हित या साम्या है या कोई ऐसी गृहस्थी, जो उस संयुक्त कुटुंब से संबंधित हो सकेगी, जिसका व्यक्ति इस बात पर ध्यान दिए बिना सदस्य है कि क्या व्यक्ति का साझी गृहस्थी में कोई अधिकार, हक या हित है, सम्मिलित है।

30. केंद्रीय सरकार, एचआईवी संबंधी जानकारी के उपबंध, शिक्षा और विवाह से पूर्व संसूचना के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत विनिर्दिष्ट करेगी और उनका व्यापक प्रसार सुनिश्चित करेगी।

एचआईवी संबंधी जानकारी, शिक्षा और विवाह से पूर्व संसूचना।

31. (1) प्रत्येक व्यक्ति का, जो राज्य की देख-रेख या अभिरक्षा में है, इस संबंध में जारी मार्गदर्शन सिद्धांत के अनुसार एचआईवी निवारण, परामर्श, परीक्षण और चिकित्सा का अधिकार होगा।

राज्य की देख-रेख या अभिरक्षा में व्यक्ति।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, राज्य की देख-रेख या अभिरक्षा के अधीन व्यक्तियों में, अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए और दंडादेश भुगत रहे, विचारण के लिए प्रतीक्षारत व्यक्ति, निवारक निरोध विधियों के अधीन निरुद्ध व्यक्ति, किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 या किसी अन्य विधि के अधीन राज्य की देख-रेख

2000 का 56

1956 का 104

या अभिरक्षा के अधीन व्यक्ति और राज्य द्वारा चलाए जा रहे गृहों और आश्रयगृहों की देख-रेख और अभिरक्षा में व्यक्ति सम्मिलित हैं।

बड़े सहोदर की संरक्षकता की मान्यता।

32. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जो अठारह वर्ष से कम का है, किंतु बारह वर्ष से कम का नहीं है, जो पर्याप्त और परिपक्व समझ रखता है और जो एचआईवी और एड्स द्वारा प्रभावित अपने कुटुंब के कार्यों का प्रबंध कर रहा है, वह निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अठारह वर्ष से कम के अन्य सहोदर के संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम होगा, अर्थात्:—

(क) शैक्षणिक स्थापनों में प्रवेश;

(ख) देख-रेख और संरक्षण;

(ग) चिकित्सा;

(घ) बैंक खातों का प्रचालन;

(ङ) संपत्ति प्रबंध; और

(च) कोई अन्य प्रयोजन, जो संरक्षक के रूप में उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, एचआईवी या एड्स से प्रभावित कोई ऐसा कुटुंब अभिप्रेत है, जहां दोनों माता-पिता और विधिक संरक्षक, जो एचआईवी संबंधित बीमारी या एड्स के कारण असमर्थ हैं या विधिक संरक्षक और माता-पिता, जो ऐसे बालकों के संबंध में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हैं।

संरक्षकता और वसीयती संरक्षकता के लिए विद्यमान वसीयत।

33. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, एचआईवी और एड्स द्वारा प्रभावित किसी बालक के माता-पिता या विधिक संरक्षक वसीयत करके किसी ऐसे वयस्क व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं, जो नातेदार या मित्र है या अठारह वर्ष की आयु से कम का कोई व्यक्ति, जो, यथास्थिति, माता-पिता या विधिक संरक्षक की अक्षमता या मृत्यु पर तुरंत विधिक संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए, धारा 33 में यथानिर्दिष्ट, एचआईवी और एड्स द्वारा प्रभावित कुटुंब का प्रबंध सदस्य है।

(2) इस धारा की कोई बात, उपधारा (1) में निर्दिष्ट माता-पिता या उनके अधिकारों वाले विधिक संरक्षक को वंचित नहीं करेगी और उनके द्वारा क्षमता को पुनः प्राप्त करने पर माता-पिता या विधिक संरक्षक द्वारा प्रचालन को बंद नहीं करेगी।

(3) एचआईवी और एड्स द्वारा प्रभावित बालकों के माता-पिता या विधिक संरक्षक ऐसे बालकों की देख-रेख और संपत्ति के संरक्षण के लिए संरक्षक नियुक्त करने हेतु यह वसीयत कर सकेंगे कि ऐसे बालक उत्तराधिकार या ऐसी संपत्ति को जो ऐसे माता-पिता या विधिक संरक्षक द्वारा विल के माध्यम से दी गई हो, प्राप्त करेंगे।

अध्याय 12

न्यायालय में विशेष प्रक्रिया

पहचान का अधिक्रमण।

34. (1) किसी विधिक कार्यवाही में, जिसमें संरक्षित व्यक्ति एक पक्षकार है या ऐसा व्यक्ति कोई आवेदक है, न्यायालय ऐसे व्यक्ति या उसके निमित्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर न्याय के हित में निम्नलिखित में से कोई या सभी आदेश पारित कर सकेगा, अर्थात्:—

(क) कि कार्यवाहियों के अभिलेख में छद्मनाम वाले ऐसे व्यक्ति का नाम प्रतिस्थापित करके आवेदक की पहचान के अधिक्रमण द्वारा कार्यवाहियां या उसके कोई भाग ऐसी रीति में संचालित किए जाएंगे, जो विहित की जाएं;

(ख) कि कार्यवाहियां या उसका कोई भाग बंद कमरे में संचालित किया जा सकेगा;

(ग) आवेदक के नाम या प्रास्थिति या पहचान के प्रकटन को अग्रसर करने के लिए किसी सामग्री को किसी रीति में प्रकाशन से किसी व्यक्ति को रोकना।

(2) किसी एचआईवी-पोजिटिव व्यक्ति से संबद्ध या संबंधित किसी विधिक कार्यवाही में न्यायालय पूर्विकता के आधार पर कार्यवाहियों को करेगा और उनका निपटारा करेगा।

35. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन संरक्षित व्यक्ति द्वारा या उसके निमित्त फाइल किए गए किसी भरणपोषण आवेदन में न्यायालय अंतरिम भरणपोषण के लिए आवेदन पर विचार करेगा और भरणपोषण के किसी आदेश को पारित करने में, चिकित्सा व्यय और अन्य एचआईवी-संबंधी लागतों, जिन्हें आवेदक द्वारा उपगत किया जा सकेगा, को ध्यान में रखेगा।

भरणपोषण आवेदन।

36. दंडादेश करने से संबंधित किसी आदेश को पारित करने में एचआईवी-पोजिटिव प्रास्थिति वाले व्यक्तियों की, जिनकी बाबत ऐसा आदेश पारित किया जाता है, अभिरक्षण स्थान, जहां ऐसे व्यक्ति को ऐसे स्थान पर समुचित स्वास्थ्य देख-रेख सेवाओं की उपलब्धता के आधार पर स्थानान्तरित किया जाएगा, का अवधारण करने के लिए न्यायालय द्वारा विचार करने के लिए सुसंगत कारक होगा।

दंडादेश करना।

अध्याय 13

शास्तियां

37. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन की जाने वाली किसी कार्रवाई में किसी बात के होते हुए भी, जो कोई धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

उल्लंघन के लिए शास्ति।

38. जो कोई धारा 26 के अधीन ऐसे समय के भीतर, जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, ओमबड्समैन द्वारा किए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, जुर्माने का, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, और यदि असफलता जारी रहती है तो अतिरिक्त जुर्माने का, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, संदाय करने के लिए दायी होगा।

ओमबड्समैन के आदेशों का पालन करने में असफल रहने के लिए शास्ति।

39. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन की जाने वाली किसी कार्यवाही में किसी बात के होते हुए भी, जो कोई संरक्षित व्यक्ति की एचआईवी प्रास्थिति के संबंध में ऐसी सूचना का, जो उसके द्वारा किसी न्यायालय के समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों के प्रक्रम में या उसके संबंध में प्राप्त की गई है, प्रकटन करता है, जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा, जब तक ऐसा प्रकटन न्यायालय के किसी आदेश या निर्देश के अनुसरण में नहीं होता है।

विधिक कार्यवाहियों में गोपनीयता भंग के लिए शास्ति।

40. कोई व्यक्ति, इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति निम्नलिखित में से कोई कार्रवाई कर चुके हैं, किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को नुकसान के अधीन नहीं करेंगे, अर्थात्:—

उत्पीड़न का प्रतिषेध।

(क) इस अधिनियम के अधीन किया गया परिवाद;

(ख) किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन लाई गई कार्रवाई;

(ग) इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग कर रहे या कृत्यों का पालन कर रहे व्यक्ति के लिए प्रस्तुत की गई कोई सूचना या पेश किया गया कोई दस्तावेज; या

(घ) इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही में साक्षी के रूप में उपसंजात हो चुके हों।

41. इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग के न्यायालय से भिन्न कोई न्यायालय नहीं लेगा।

अपराधों के विचारण के लिए न्यायालय।

अपराधों का संज्ञेय
और जमानतीय होना।

42. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन 1974 का 2
अपराध संज्ञेय और जमानतीय होंगे।

अध्याय 14

प्रकीर्ण

अधिनियम का
अध्यारेही प्रभाव
होना।

43. इस अधिनियम के उपबंधों का, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से
अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में उससे असंगत किसी बात के होते हुए
भी प्रभाव होगा।

सद्भावपूर्वक की गई
कार्रवाई के लिए
संरक्षण।

44. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसरण
में या केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के ओमबड्समैन की एड्स नियंत्रण
सोसाइटी के द्वारा या उनके प्राधिकार के अधीन प्रकाशन के संबंध में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के
लिए आशयित किसी बात की बाबत या तो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार तथा राज्य
सरकार के ओमबड्समैन की एड्स नियंत्रण सोसाइटी या उसके किसी सदस्य या केंद्रीय सरकार या राज्य
सरकार, केंद्रीय सरकार या ओमबड्समैन के निदेशन के अधीन कार्य कर रहे किसी अधिकारी या अन्य
कर्मचारी के विरुद्ध कोई चाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

शक्तियों का प्रत्यायोजन।

45. यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, यह निदेश कर
सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन इसके द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति, ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी
शर्तों के अधीन, यदि कोई हैं, जो आदेश में उल्लिखित की जाएं, उस सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के
अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा भी प्रयोक्तव्य होगी।

मार्गदर्शक सिद्धांत।

46. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, साधारणतया इस अधिनियम के उपबंधों का क्रियान्वयन
करने के लिए, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए किसी नियम से संगत मार्गदर्शक सिद्धांत बना
सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे मार्गदर्शक
सिद्धांत, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 2 के खंड (ढ) के अधीन प्रस्तावित मध्यक्षेप के लिए जोखिम और फायदे या
विकल्पों संबंधी जानकारी;

(ख) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन सूचित सम्मति प्राप्त करने की रीति और उपधारा
(2) के अधीन पूर्व परीक्षण और पश्च परीक्षण परामर्श की रीति;

(ग) धारा 7 के अधीन एचआईवी परीक्षण के लिए परीक्षण या निदान केंद्र या विद्वित
विज्ञान प्रयोगशाला या रक्त बैंक द्वारा अनुसरण किए जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत;

(घ) धारा 11 के अधीन आंकड़ा संरक्षण उपायों को किए जाने की रीति;

(ङ) धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिविषाणु संबंधी चिकित्सा और अवसरवादीय
संक्रमण प्रबंधन से संबंधित एचआईवी/एड्स के लिए प्रोटोकाल की बाबत मार्गदर्शक सिद्धांत;

(च) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन एचआईवी या एड्स से संक्रमित बालकों की
देख-रेख, सहारा और उपचार;

(छ) धारा 19 के अधीन सार्वभौमिक पूर्वावधानियां और पश्च प्रभावन रोग निरोध के लिए
मार्गदर्शन;

(ज) धारा 22 के अधीन एचआईवी संचरण के जोखिम को कम करने के लिए रणनीति या
क्रियाविधि या तकनीकी के कार्यान्वयन हेतु;

(झ) धारा 22 के अधीन ओषधि प्रतिस्थापन, ओषधि अनुरक्षण और नीडल तथा सीरिज
विनिमय कार्यक्रम के कार्यान्वयन की रीति;

(ज) धारा 30 के अधीन एचआईवी संबंधी जानकारी, शिक्षा और विवाह से पूर्व संसूचना;

(ट) धारा 31 के अधीन एचआईवी या एड्स निवारण, परामर्श, परीक्षण और अभिरक्षा में व्यक्तियों की चिकित्सा की रीति;

(ठ) कोई अन्य विषय, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत में विनिर्दिष्ट होने चाहिए।

47. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 12 के अधीन स्थापनों के लिए माडल एचआईवी या एड्स नीति अधिसूचित करने की रीति;

(ख) कोई अन्य विषय, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं या विहित होने चाहिए।

48. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नियमों का संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना।

49. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

राज्य सरकार की नियम बनाने और उसे रखे जाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) एचआईवी या एड्स से ग्रस्त लोगों के लिए एचआईवी या एड्स संबंधी नैदानिक सुविधा प्रतिविषाणु संबंधी चिकित्सा और अवसरवादीय संक्रमण प्रबंधन प्रदान करने तथा धारा 14 के अधीन मार्गदर्शनों के अनुसार एचआईवी या एड्स का प्रसार रोकने के उपाय;

(ख) धारा 23 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन किसी ओमबड्समैन के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या खंड (ख) के अधीन राज्य सरकार के किसी ऐसे अधिकारी की रैंक जिसे ओमबड्समैन के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाना है और उसके लिए अर्हता और अनुभव;

(ग) धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन ओमबड्समैन की सेवा के निबंधन और शर्तें;

(घ) धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन ओमबड्समैन द्वारा शिकायतों की जांच करने की रीति और उसकी उपधारा (3) के अधीन उसके द्वारा अभिलेखों का अनुरक्षण;

(ङ) धारा 25 के अधीन ओमबड्समैन को परिवाद करने की रीति;

(च) धारा 34 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन विधिक कार्यवाही में छद्मनाम अभिलिखित करने की रीति।

(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम यथाशीघ्र विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

कठिनाइयों को दूर
करने की शक्ति।

50. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

राष्ट्रपति ने दि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एंड अक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल) एक्ट, 2017 के उपरोक्त हिन्दी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

The above translation in Hindi of the Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (Prevention and Control) Act, 2017 has been authorised by the President to be published in the Official Gazette under clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963.

सचिव, भारत सरकार।

Secretary to the Government of India.